



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे / SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY

	 कार्यालय Office of the मुख्य वाणिज्य प्रबंधक Chief Commercial Manager, बिलासपुर - (छ.ग.) Bilaspur(C.G.)
दर परिपत्र स. 53(माल)/2017	Rates Circular No.53(G)/2017

सं No.C/SECR/BSP/Container/Policy/Pt.I/1377

दिनांक / Date: 10/03/2017

सभी मुख्य स्टेशन प्रबंधक, स्टेशन अधीक्षक, मुख्य माल पर्यवेक्षक, माल पर्यवेक्षक, माल लिपिक एवं साईडिंग लिपिक, वे-ब्रिज लिपिक, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक, वाणिज्य निरीक्षक, वरिष्ठ ट्राफिक निरीक्षक एकाउंट, ट्राफिक निरीक्षक एकाउंट / दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू।

मंडल रेल प्रबंधक / DRMs / द.पू.म.रे. बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, / Sr.DCMs बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक, / Sr.DOMs बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। मुख्य वाणिज्य नियंत्रक, / Chief Commercial Control बिलासपुर। एरिया रेलवे मैनेजर / ARMs भिलाई, कोरबा, शहडोल एवं ब्रजराजनगर। मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी / CPRO बिलासपुर, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी / FA&CAO, उप मु.लेखाधिकारी (टी) / Dy.FA&CAO(T) एवं वरिष्ठ एकाउंट अधिकारी (टी.ए) द.पू.म.रे. बिलासपुर / Sr.AFA(TA) वरिष्ठ उप मुख्य महाप्रबंधक / SDGM, मुख्य मालमाड़ा यातायात प्रबंधक, / CFTM मुख्य यांत्रिक अभियंता / CME, मुख्य अभियंता / CE, मुख्य विद्युत अभियंता / CEE, द.पू.म.रे. बिलासपुर। प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा अधिकारी, / Principal Director of Audit दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर।

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक / CCMs:- पूर्व रेलवे, कोलकाता, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे, चैन्नई, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, मुंबई, मध्य रेलवे, मुंबई सीएसटी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, मालीगांव गुवाहाटी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, पूर्व तटीय रेलवे, भुवनेश्वर, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद कार्यकारी निर्देशक, रेल मूवमेन्ट / EDRM, रेलवे बोर्ड, पूर्व रेलवे हाउस, कोलकाता।

कॉन्कोर, इस्को हाउस, 50, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता

सीएओ(एफओआईएस), क्रीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली,,  
 महाप्रबंधक,, सीएओ/एफओआईएस, क्रीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली,, ओसीसी, क्रीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली,,  
 कार्यपालन निर्देशक (यात्री विपणन), रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।

**विषय / Sub:- Movement of Restricted Commodities in Import Containers.**

- संदर्भ / Ref:- (1) Railway Board's letter No. 2008/TT-III/73/8 dated 01.07.2008.  
 (2) Railway Board's letter No.2011/TT-III /73/9 dated 04.09.2013,28.02.2014, 25.08.2014, 20.08.2015 & 05.09.2016  
 (3) This office Rates Circular No. 105(G)/2008,151(G)/13, 27(G)/14, 157(G)/14, 158(G)/15 & 175(G)/16.

\*\*\*\*\*

उपर्युक्त विषयक रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या **2011/TT-III/73/9** दिनांक **03/03/2017** (Container Train Circular : 03/2017), आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत पूर्ण विवरण नीचे दिया जा रहा है।

Contd...2.

**Rates Circular No. 53(G)/2017**

Attention is invited to Railway Board letter under ref (2), wherein approval of Railway Board was communicated for permitting movement of all type of Ores, Minerals, Coal and Coke in **Import Containers only**, which are transported purely under Customs bond and seal, in partial relaxation to the stipulation at Para 5.1 of letter under ref (1).


The permission was valid till 04.03.2017. The permission is now further extended for a period of **Six months i.e. from 05.03.2017 to 04.09.2017**.

Divisions shall continue to maintain the record of movement of such restricted commodities in import containers for perusal and review by Railway Board.

**CRIS may post a daily report on its website to monitor the schme.**

This issues with the approval of Traffic Commercial and Finance Directorate of Railway Board.

कृपया सभी संबंधित कर्मचारी नोट करें एवं तदनुसार कार्यवाही करें ।

  
(एस. एम. गोन्डाने )  
उप मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक/पण्य  
कृते मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक